न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तन** (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 335 सन 2014

अनवान :–

1. रामसिह पत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. भागसिह पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र बिरबल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. रामस्वरूप पुत्र हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

2. फुली पत्नी बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. कोशल्या पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. सरबती पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. भतेरी पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. शान्ति पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7. लिछमा पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
8. महेन्द्रसिह पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
9. ओमप्रकाश पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
10. कृष्ण पुत्र हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
11. केहरसिह पुत्र हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
12. चन्दो पुत्री हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
13. रामेश्वरी पुत्री हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
14. कोयत पुत्री हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
15. हरकोरी पत्नी गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
16. हरदेव पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
17. कुन्दनलाल पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
18. लीलावती पत्नी काशीराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
19. विक्रम पुत्र काशीराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
20. सन्तलाल पुत्र काशीराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
21. बाधो पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
22. तारावती पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
23. परमेश्वरी पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
24. मोहना पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
25. हनुमान पुत्र चिडिया पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
26. सुभाष पुत्र चिडिया पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
27. कलावती पुत्री चिडिया पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
28. विमला पुत्री चिडिया पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
29. रामेश्वर पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
30. रेशमी पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
31. अणचाई पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
32. सोना पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
33. सावित्री पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
34. कैकयी पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136 एलआरएक्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/11/25

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, एवं 136 एलआरएक्ट के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा रामगढ बारानी के प0न0 373/447 (27) किला न0 3 ता 25 की 15.00 बीधा , प0न0 374/447 (28) के किला न0 20 ,21 की दो बीधा प0न0 374/446(24) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 की 6.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि स्थित थी जिसके गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे

गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर सभी का देहान्त हो चुका है गणपत के वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 15 ता 28 सुरजा के वारिस वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 29 ता 34 व बिरबल के वारिसान वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है व हरपत के वारिसान वादी संख्या 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 है।

रोही मौजा चक 11 बारानी की कुल 23.00 बीधा भूमि गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी किन्तु भू0 प्रबन्ध विभाग के द्वारा प0न0 373/446 (25) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 कुल 6.00 बीधा यानी 1.5180हैक्‍ को राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज कर दी जबकि भू0प्रबन्ध विभाग ने बिना अधिकारी वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी भूमि को गैरखातेदारी दर्ज किया गया है जिसे वादीगण संशोधन करवाकर बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 547/515 की कुल 1.5180हैक्‍ भूमि में वादीगण की बहने प्रतिवादी संख्या 2 ता 34 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग/तर्क वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है।

वादीगण के अपने हको की घोषणा करवाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 547/515 की कुल 1.5180हैक्‍ भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 29 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 20 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 का 1/4 हिस्सा , व वादी संख्या 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 ,11 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवारकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 373/447 (27) के किला न0 3 ता 25 की 15.00 बीधा , प0न0 374/447 (28) के किला न0 20 ,21 की 2.00 बीधा , प0न0 373/446 (24) के किला न0 17 ता19 ख्22 ता 24 की 6.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 29 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 20 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 ,11 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तु[illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या [illegible]ब अंकित किया की वादी के साक्ष्य सबुतों एवं उपनिवेशन नियमों के [illegible] हुए वाद का निस्तारण फरमावे एवं वादीगण की बहने जो [illegible] हको का त्याग वादीगण एव अन्य भाईयो के पक्ष में त्याग करने के कारण एव शेष प्रतिव[illegible]गण का अनुतोष वादीगण के हको में निहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होने के कारण तर्क किया गया तथा वादी ने साक्ष्यवादी में अपना शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रामगढ बारानी के प0न0 373/447 (27) किला न0 3 ता 25 की 15.00 बीधा , प0न0 374/447 (28) के किला न0 20 ,21 की दो बीधा प0न0 374/446(24) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 की 6.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि स्थित थी जिसके गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे

गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर सभी का देहान्त हो चुका है गणपत के वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 15 ता 28 सुरजा के वारिस वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 29 ता 34 व बिरबल के वारिसान वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है व हरपत के वारिसान वादी संख्या 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 है।

रोही मौजा चक 11 बारानी की कुल 23.00 बीधा भूमि गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी किन्तु भू0 प्रबन्ध विभाग के द्वारा प0न0 373/446 (25) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 कुल 6.00 बीधा यानी 1.5180हैक्ट को राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज कर दी जबकि भू0प्रबन्ध विभाग ने बिना अधिकारी वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी भूमि को गैरखातेदारी दर्ज किया गया है जिसे वादीगण संशोधन करवाकर बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं उपनिवेशन नियमों के तहत राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन /मनन किया गया ।

रोही मौजा रामगढ बारानी के प0न0 373/447 (27) किला न0 3 ता 25 की 15.00 बीधा , प0न0 374/447 (28) के किला न0 20 ,21 की दो बीधा प0न0 374/446(24) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 की 6.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि स्थित थी जिसके गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे जो प्रस्तुत पर्चा खतौनी से पूर्णत्या सबित है।

गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान वाद के शिर्षक में दर्ज वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 34 ही है जिसके सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया ना ही अन्य कोई ऐतराज पेश हुआ है यदि वारिसान के सम्बध में या अन्य कथनो के सम्बध में भविष्य में किसी प्रकार का ऐतराज होता है तो हस्तगत वाद में पारित निर्णय कभी भी निरस्त किया जा सकता है जिसके सम्बध में वादीगण किसी भी प्रकार का उज्र पेश नही कर सकेगे न्यायालय सुआमोटो निरस्त कर सकेगा।

गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल के नाम रोही मौजा रामगढ बारानी के प0न0 373/447 (27) किला न0 3 ता 25 की 15.00 बीधा , प0न0 374/447 (28) के किला न0 20 ,21 की दो बीधा प0न0 374/446(24) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 की 6.00 बीधा कुल 23.00 बीधा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी जो पूर्चा खतौनी जो महत्वपूर्ण प्रथम राजस्व रिकार्ड है से पूर्णतया साबित है किन्तु आगामी जमाबन्दी में उक्त भूमि में से केवल प0न0 374/446(24) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 की 6.00 बीधा भूमि को गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल को गैरखातेदार दर्ज कर दिया एवं शेष भूमि को खातेदार दर्ज कर दिया गेरखातेदार दर्ज की गई भूमि के सम्बध मे किसी भी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश/निर्णय का अंकन नही किया गया स्वैच्छा से राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई जबकि किसी भी अधिकारी को राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन में परिर्वतन करने हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होगी बिना अधिकार राजस्व स्वैच्छा से राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन नही किया गया जा सकता है।

भू0प्रबन्ध विभाग केवल भू0प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान पूर्व दर्ज काश्तकारो की भूमि के नये प0न0 /खसरा नम्बरों में परिर्वतन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में पूर्व की भाती काश्तकारो के नाम अकित करने के अधिकार है काश्तकारो के नाम टिनेन्ट एव भूमि में परिर्वतन करने का अधिकारी नही है यदि भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा राजस्व रिकार्ड में बिना किसी अधिकारी के काश्तकारो की भूमि में परिर्वतन किया गया है तो वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने की अधिकारीता रखता है अर्थात कभी भी राजस्व रिकार्ड को संशोधन करवा सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार गणपत , हरपत , सुरजा , बिरबल पि0 श्योलाल के नाम रोही मौजा रामगढ बारानी के प0न0 373/447 (27) किला न0 3 ता 25 की 15.00 बीधा , प0न0 374/447 (28) के किला न0 20 ,21 की दो बीधा प0न0 374/446(24) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 की 6.00 बीधा कुल 23.00 बीधा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी जो पूर्चा खतौनी जो महत्वपूर्ण प्रथम राजस्व रिकार्ड है से पूर्णत्या साबित है इसी अनुसार आगामी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु सहवन से आगामी जमाबन्दी तेयार करते समय प0न0 374/446(24) के किला न0 17 ता 19 ,22 ता 24 की 6.00 बीधा भूमि को गैरखातेदार दर्ज किया दिया जो विधिसम्मत नही है पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन को ही आगामी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था बिना अधिकार या बिना सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन किया जाना विधिसम्मत नही है वादीगण पर्चाखतौनी जो एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है उसी के आधार पर जमाबन्दीया तेयार की गई है सहवन से हुए अंकन को संशोधन करवाकर पर्चा खतौनी के अनुसार जमाबन्दी में दर्ज करवाकर जमाबन्दी संशोधन करवाने के वादीगण अधिकारी है अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 373/447 (27) के किला न0 3 ता 25 की 15.00 बीधा , प0न0 374/447 (28) के किला न0 20 ,21 की 2.00 बीधा , प0न0 373/446 (24) के किला न0 17 ता19 ख्22 ता 24 की 6.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 29 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 20 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 ,11 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

वाद सं0 : 335 सन 2014

अनवान :–

1. रामसिह पत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. भागसिह पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र बिरबल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. रामस्वरूप पुत्र हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

2. फुली पत्नी बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. कोशल्या पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. सरबती पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. भतेरी पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. शान्ति पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7. लिछमा पुत्री बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
8. महेन्द्रसिह पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
9. ओमप्रकाश पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
10. कृष्ण पुत्र हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
11. केहरसिह पुत्र हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
12. चन्दो पुत्री हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
13. रामेश्वरी पुत्री हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
14. कोयत पुत्री हरपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
15. हरकोरी पत्नी गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
16. हरदेव पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
17. कुन्दनलाल पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
18. लीलावती पत्नी काशीराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
19. विक्रम पुत्र काशीराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
20. सन्तलाल पुत्र काशीराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
21. बाधो पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
22. तारावती पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
23. परमेश्वरी पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
24. मोहना पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
25. हनुमान पुत्र चिडिया पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
26. सुभाष पुत्र चिडिया पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
27. कलावती पुत्री चिडिया पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
28. विमला पुत्री चिडिया पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
29. रामेश्वर पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
30. रेशमी पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
31. अणचाई पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
32. सोना पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
33. सावित्री पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
34. कैकयी पुत्री सुरजा जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 335 सन 2014 निर्णय दिनांक– 25/11/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के प0न0 373/447 (27) के किला न0 3 ता 25 की 15.00 बीधा , प0न0 374/447 (28) के किला न0 20 ,21 की 2.00 बीधा , प0न0 373/446 (24) के किला न0 17 ता19 व22 ता 24 की 6.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 29 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 20 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ,9 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 ,11 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested